FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1.District(जिला)..चूरू.P.S(थाना)..**सीपीएसजयपुर**Year(वर्ष).**2023**..FIRNo.(प्रसूरिसं)..72/2023.....Dateदिनांक)..27/3/23

2. (i) Act (अधिनियम)..भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन2018अधिनियम) Sections(धाराऐं). .... 7..............

(ii) Act (अधिनियम)........... .... Sections (धाराऐं)................... ....

(iii) Act (अधिनियम)...........................Sections (धाराऐं)...

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराऐं) ....

3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का)Day(दिन)..Date from(दिनांक से) Yr 2023 Date 27.3.2023 to (दिनांक तक) Time Period (पहर) ....10.05 AM....Time From(बजे से) .....Time to(बजे तक (b)(ख)Information received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना) .....Date (दिनांक) .... Time(समय). (c)(ग)General Diary Reference (रोजनामचासन्दर्भ)..Entry No(प्रविष्टि संख्या)..489 Time(समय).. 7:00 PM

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित/मौखिक) .....लिखित......

5. Place of Occurrence(घटना स्थल का ब्योरा)

(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 210 KM दक्षिण .Beat No (बीट संख्या)

(b)(ख) Address (पता) . कार्यालय आयुक्त, क्षैत्रीय भविष्य निधि संगठन जयपुर के पास जयपुर।

(c)(x) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तक उस)

Name of PS (थाने का नाम) .... District (जिला) ....

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता/इत्तला देने वाला)

(a)(क) Name (नाम) .....श्री दीपेश कुमार ....

(b)(ख) Father`s/Husband`s Name (पिता/पति का नाम) ... स्व0 समुन्द्र सिंह खाती.......

(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि/वर्ष)...31 YR...(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता) ..भारतीय..

(e)(ड़) Passport No (पासपोर्ट संख्या) ....

date of Issue (जारी करने की तिथि) .... Place of Issue (जारी करने का स्थान) ....

(f)(च) Occupation (व्यवसाय).. नोकरी ... ..

(g)(छ) Address (पता) भावठडी तह0 सुरजगढ जिला झुन्झुनू।

7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नथी करें)

1. श्री विकास मीणा पुत्र स्व0 बनवारी लाल जाति मीणा निवासी अनोपपुरा पुलिस थाना कालाडेरा तह0 आमेर जिला जयपुर हाल सामाजिक सुरक्षा सहायक, कार्यालय आयुक्त, क्षैत्रीय भविष्य निधि संगठन जयपुर।

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण).......शून्य..

9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें) ....

10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पति का कुल मुल्य) ..Trap Rs 6,000 ....

11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो) ....

12. F.I.R. Contents (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चूरू।

विषय :– श्री विकास कुमार कार्यालय ईपीएफओ जयपुर द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बधं में।

महोदय,

निवेदन है कि मेरा पिताजी समुन्द्र सिंह रिद्धी–सिद्धी ग्लास इण्डिया प्रा0 लि0 जयपुर में कारपेन्टर के पद पर कार्य करते थे। जिनकी सेवा के दौरान दिनांक 28.01.23 को हद्‌यघात से मृत्यु हो गई थी। मेरे पिताजी की करीब 15 वर्ष की सेवा हो चुकी थी जिनका उक्त कम्पनी में पीएफ, ईडीएलआई व पेंशन का पैसा जमा था। पीएफ, ईडीएलआई व पेंशन का भुगतान ईपीएफओ कार्यालय द्वारा किया जाता हैं। मेरी माताजी की मृत्यु उपरान्त पिताजी ने अपने सेवा में मुझे नोमिनी कर रखा था। पिताजी के देहान्त के पश्चात दिनांक 17.03.2023 को मै ईपीएफओ कार्यालय जयपुर जाकर श्री विकास कुमार से मिला व पीएफ, ईडीएलआई व पेंशन के भुगतान के सम्बधं में वार्ता की तो श्री विकास कुमार ने मुझे भुगतान से सम्बंधित वांछित दस्तावेजो के बारे में बताया और फार्म उपलब्ध करवाये तथा कहा कि इनकी पूर्ति कर किसी व्यक्ति के साथ भिजवा देना, मै फार्म आदि चैक कर आप से फोन पर सम्पर्क कर लुंगा। मेरे द्वारा उक्त फार्मो व दस्तावेजों की पूर्ति कर दिनांक 21.03.2023 को मेरे साले के मार्फत उक्त दस्तावेज श्री विकास कुमार को उपलब्ध करवा दिये गये तथा मेरे साले के द्वारा मोबाईल से मेरे को दस्तावेज विकास कुमार को उपलब्ध करवा देने के बारे में बताया। उसी मोबाईल से मेरे साले ने विकास कुमार से मेरी बात करवाई तो विकास कुमार ने मुझे कहा कि कागजात मैने चैक कर लिये है ठीक हैं जल्दी ही आपका भुगतान करवा दुंगा परन्तु इसके लिए आठ–दस हजार रूपये का खर्चा लगेगा। मैने कहा खर्चा है तो ज्यादा मै आपसे जयपुर आकर बात कर लुंगा। श्री विकास कुमार कार्यालय ईपीएफओ जयपुर मेरे से मेरे पिताजी के पीएफ, ईडीएलआई व पेंशन के भुगतान करवाने की एवज में नाजायज 8–10 हजार रूपये रिश्वत के मांग कर रहा हैं मैं उसे रिश्वत के नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। आप आवश्यक कार्यवाही करे।

दिनांकः 21.03.2023

प्रार्थी,
एसडी
श्री दीपेश कुमार पुत्र स्व0 समुन्द्र सिंह
निवासी भवठडी पुलिस थाना
सुरजगढ जिला झुन्झुनू
मो0न0 9166125360

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 21.03.2023 को वक्त 11.15 एएम पर श्री दीपेश कुमार पुत्र स्व0 समुन्द्र सिंह जाति खाती उम्र 31 वर्ष पेशा नोकरी निवासी भावठडी पुलिस थाना सुरजगढ जिला झुन्झुनू हाल कानि नं0 116 भ्रनि ब्यूरो चूरू ने उक्त रिपोर्ट मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि मेरे पिताजी समुन्द्र सिंह रिद्धी–सिद्धी ग्लास इण्डिया प्रा0 लि0 जयपुर में कारपेन्टर का काम करते थे। जिनकी दिनांक 28.01.23 को हार्ट अटेक से मृत्यु हो गई थी। जिनकी करीब 15 वर्ष की सेवा हो चुकी थी जिनका उक्त कम्पनी में पीएफ, ईडीएलआई व पेंशन का पैसा जमा था। पीएफ, ईडीएलआई व पेंशन का भुगतान ईपीएफओ कार्यालय द्वारा किया जाता हैं। मेरी माताजी की मृत्यु उपरान्त पिताजी ने अपने सेवा में मुझे नोमिनी कर रखा

मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 22.03.2023 व दिनांक 24.03.23 को आरोपी विकास कुमार व परिवादी दीपेश कुमार के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता जो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है

को परिवादी दीपेश कुमार व कानि प्रवीण कुमार के समक्ष जरिये कम्प्यूटर सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता को एक खाली नये पैन ड्राईव जिस पर Kingston 32 GB लिखा है में दोनो वार्ताओं को श्री राजपाल सिंह कानि से डाउन लोड करवा कर उक्त वार्ता को पुनः सुना गया तो उक्त वार्ता दर्ज होना पाया गया। वॉईस क्लीप पैन ड्राईव में रिकॉर्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर पैन ड्राईव को कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क 'A' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त दोनो वार्ता की एक डीवीडी जरिये कम्प्यूटर श्री राजपाल सिंह कानि से तैयार करवायी गई जिसको खुला रखा गया। सील्ड पैन ड्राईव व खुली डीवीडी को जमा मालखाना करवाया गया।

वक्त 1.30 पीएम पर परिवादी दीपेश कुमार ने बताया कि मेरे पास आरोपी विकास कुमार का मिस कॉल आया था तब मैने सुबह हुई उसी नम्बर पर मेरे नम्बर से कॉल किया तो विकास कुमार ने मेरे को कहा कि आप सोमवार को सुबह ऑफिस टाईम से पहले यानि 10 एएम से पहले जयपुर आकर मेरे से मिलो मै आपको पेंशन की राशि के भुगतान के सम्बधं में एक फार्म दुंगा जो फैक्ट्री से पूर्ति करवाकर लाकर मुझे दो ताकि आपके पिताजी के पेंशन राशि का भी भुगतान मै करवा दुंगा। इसलिए सोमवार को 10 एएम से पूर्व आरोपी से जाकर जयपुर में मिलना पडेगा और उसे रिश्वत राशि देनी होगी। ट्रेप कार्यवाही दिनांक 27.03.2023 को सुबह जल्दी प्रस्तावित है, चुकि दिनांक 25 व 26.03.2023 को राजकीय अवकाश था इसलिए एसई सानिवि चूरू से दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी बाबत पत्र श्री ओम प्रकाश कानि को दिया जाकर सानिवि वृत्त कार्यालय चूरू रवाना किया गया।

वक्त 4.00 पीएम पर श्री ओम प्रकाश कानि उपस्थित आया जिसने एसई सानिवि वृत्त चूरू का पत्र पेश किया जिसमें श्री मनोहर सिह क0अ0 व नन्द गोपाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कार्यवाही में गवाह बाबत उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है। पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर से उक्त दोनो गवाहान को दिनांक 27.03.23 को 4.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया तथा हाजिर परिवादी दीपेश कुमार को हिदायत की गई कि रिश्वती राशि छः हजार रूपये लेकर सोमवार दिनांक 27.03.2023 को 3.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित रहें। कार्यालय स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

दिनांक 27.03.2023 को वक्त 3.30 एएम पर परिवादी श्री दीपेश कुमार हाजिर चौकी आया तथा बताया कि रिश्वत में दिये जाने वाले 6,000रूपये साथ लाया हूँ। पाबंद शुदा श्री मनोहर सिंह राठौड क0अ0 व नन्द गोपाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय स0अ0 सानिवि नगर उपखण्ड चूरू हाजिर चोकी आये। आमदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी दीपेश कुमार के द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो गवाहान ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो गवाहों को परिवादी से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया।

वक्त 4.00 एएम पर परिवादी श्री दीपेश कुमार पुत्र स्व0 समुन्द्र सिंह ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले छः हजार रूपये (पांच–पांच सौ के बारह नोट)भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1AV 458985
2	————;;————	9HH 589908
3	————;;————	7LQ 975960
4	————;;————	1NK 287753
5	————;;————	0GH 441169
6	————;;————	1AK 561036
7	————;;————	0AE 591390
8	————;;————	8PG 907005
9	————;;————	2AG 466165
10	————;;————	7GD 722165
11	————;;————	0QD 565875
12	————;;————	7GD 722182

उपरोक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाकर श्री राजकुमार कानि223 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री दीपेश कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री मनोहर सिंह राठौड से लिवायी गई तो कोई आपतिजनक सामान नहीं पाया गया। उपरोक्त रिश्वती राशि को परिवादी दीपेश कुमार के पहनी पेंट की आगे की दाहिनी जेब में श्री राजकुमार कानि से रखवाई गई। परिवादी दीपेश कुमार को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा

रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात अपने मोबाईल से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल करे तथा यदि सम्भव हो तो मुकर्र ईशारा करें। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन व इस बीच होने वाली वार्ता को क्रमशः देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडीयम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल बनाया गया तो पानी रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री राजकुमार कानि223के हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। गिलास तथा राजकुमार कानि के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी सुरक्षित रखवाई गई। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी दीपेश कुमार को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय के टेप रिकार्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर सुपूर्द किया गया। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी को उसका मोबाईल उसके पास रहने दिया गया।

वक्त 4.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी दीपेश कुमार एवं दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री मनोहर सिंह राठौड, नन्द गोपाल तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री श्री महेन्द्र कुमार पुनि, गिरधारी सिंह सउनि, राकेश कुमार, राजपाल सिंह, प्रवीण कुमार, श्रवण कुमार कानिगण एवं प्रमोद पूनियां क0स0 के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर एक प्राईवेट व सरकारी वाहन मय चालक श्री हिम्मत सिंह से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना जयपुर के लिए हुआ। श्री राजकुमार कानि 223 को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया।

वक्त 9.00 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये वाहनों के विद्युत भवन जयपुर के पास स्थित कार्यालय भविष्य निधि संगठन, क्षैत्रीय कार्यालय के पास पंहुच गाडियों को साईड में रूकवाया गया। परिवादी दीपेश कुमार को हिदायत कर आरोपी से सम्पर्क करने ईपीएफओ कार्यालय के लिए रवाना किया गया, मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ईपीएफ कार्यालय के आगे मुख्य सडक पर बनी चाय की थडी, सरस बूथ के पास परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।

समय 10.05 एएम पर परिवादी श्री दीपेश कुमार ने विद्युत भवन जयपुर के पास स्थित कार्यालय भविष्य निधि संगठन, क्षैत्रीय कार्यालय के दाहीनी तरफ मुख्य सडक पर बनी चाय, नास्ते की थडी से मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर करने पर मैं उप अधीक्षक पुलिस दोनों गवाहान मय ट्रेप दल के सदस्यो को साथ लेता हुआ परिवादी दीपेश कुमार के पास पहुंचा। परिवादी के पास एक काले रंग की जकैट पहने व्यक्ति खडा है जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही विकास जी हैं जिन्होने अभी–अभी मेरे से छः हजार रूपये रिश्वत के लेकर अपने पर्स मे रखकर पर्स अपनी पेंट की जेब में रख लिया। इस पर परिवादी दीपेश कुमार से रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता का टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी द्वारा बताये गये इस व्यक्ति को मन् उप पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो यह व्यक्ति एकदम से घबरा गया व अपना नाम विकास मीणा सामाजिक सुरक्षा सहायक, क्षैत्रीय कार्यालय भविष्य निधि संगठन जयपुर होना बताया। विकास मीणा को परिवादी दीपेश कुमार से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो विकास मीणा ने कहा कि मैने कोई पैसे नही लिये है, फिर बताया कि मेरे पास कोई पैसे नही है, फिर सोचकर कहा कि हमारे विभाग के झुन्झुनू कार्यालय में कार्यरत देवेन्द्र जी ने मुझे फोन कर कहा था कि दीपेश जी को आपके नम्बर देकर आपके पास भेज रहा हूँ इनका काम जल्दी कर देना। मैने दीपेश जी का काम देवेन्द्र जी के कहने से कर दिया जिस पर दीपेश जी ने मुझे आज छः हजार रूपये दिये जो मेरे पर्स में है। इस पर हाजिर परिवादी दीपेश कुमार ने बताया कि विकास जी झुठ बोल रहे है। मै झुन्झुनू में किसी देवेन्द्र नामक व्यक्ति को नही जानता। मेरे पिताजी रिद्धी–सिद्धी ग्लास इण्डिया प्रा0लि0 जयपुर में कारपेन्टर कार्यरत थे जिनकी दिनांक 28.01.2023 को मृत्यु उपरान्त कम्पनी में उनके पेंशन, पीएफ व इडीएलआई के भुगतान करवाने बाबत विकास मीणा ने मुझसे आठ हजार रूपये रिश्वत के मांगे थे बाद में छः हजार रूपये लेने के लिए सहमत होने पर तथा आज रिश्वती राशि लेकर मुझे जयपुर बुलाया था। विकास मीणा के मांगने पर ही आज मैने इनके कार्यालय के पास छः हजार रूपये रिश्वत

के इनको दिये हैं। आरोपी विकास मीणा के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी विकास मीणा का दायां व बांया हाथ क्रमशः राजपाल सिंह व श्रवण कुमार कानिगण ने कलाईयों से पकड लिया। उक्त पूछताछ होने तक सडक आम पर राहगीरो की भीड़ होने के कारण सुरक्षित कार्यवाही करने के लिये आरोपी विकास मीणा के दोनों हाथ पकड़े पकड़े पास ही स्थित इनके स्वयं के कार्यालय में मुख्य द्वार के सामने वाहनो की पार्किग हेतु बने टिन शैड के नीचे पंहुच ट्रेप कार्यवाही के क्रम में साफ कांच के दो गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक–एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री विकास मीणा सामाजिक सुरक्षा सहायक के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दोनो गवाहान ने गुलाबी रंग बताया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी विकास मीणा सामाजिक सुरक्षा सहायक के बायें हाथ की अंगूलियों को ही डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, गिलास के इस मिश्रण को दोनो गवाहान ने गुलाबी रंग बताया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क L-1 L-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी श्री विकास मीणा ने अपनी पहनी पेंट की पीछे की दाहीनी जेब से एक पर्स बरंग ब्राउन पेश किया। उक्त पर्स को गवाह मनोहर सिंह राठौड से चैक करवाया गया तो पर्स में पांच–पांच सौ रूपये के नोट मिले। जिनको गवाह ने गिनकर 6000रूपये (पांच–पांच सौ के बारह नोट) बताया। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। आरोपी से बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द में अंकित कर उपरोक्त 6,000 रूपयों के नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी श्री विकास मीणा का पर्स बंरग ब्राउन जिससे रिश्वती राशि बरामद हुई है, पर्स के उस स्थान का प्रक्रियानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में एक कपडे के टुकडे को डूबोकर पर्स में दो–तीन बार पौंछ कर वापिस गिलास में निचौडा गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। आरोपी श्री विकास मीणा के उक्त पर्स जहां पर रिश्वती राशि रखी हुई को सुखाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर तथा धोवन में प्रयुक्त कपडे के टुकडे को कपडे की एक थैली में सील्ड कर मार्क B अंकित कर वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। पर्स में रिश्वती राशि के अतिरिक्त आरोपी विकास मीणा का ड्राईविग लाईसेस, पैन कार्ड, एटीएम, आधार कार्ड एवं 620रूपये मिले जिनको वापिस दुरस्त विकास कुमार को सुपुर्द किये गये। उक्त कार्यवाही के पश्चात ट्रेप कार्यवाही के क्रम में लिखा पढी हेतु आरोपी विकास मीणा के कार्यालय के अन्दर भू–तल पर बने एक कक्ष में पहुंच आगे की कार्यवाही शुरू की गई। आरोपी विकास मीणा सामाजिक सुरक्षा सहायक ने पूछने पर बताया कि दीपेश करीब 8–10 दिन पहले मेरे पास देवेन्द्र के बताऐ अनुसार कार्यालय में आया था, जिसको मैने इसके पिताजी की मृत्यु उपरान्त देय पीएफ, ईडीएलआई एवं पेंशन फण्ड पर मिलने वाली राशि व उसकी प्रकिया के बारे में कौन–कौन से दस्तावेज तैयार कर पेश करने होगे, के लिए कहा था। उसके दो दिन बाद दीपेश का कोई आदमी दस्तावेज तैयार कर मेरे पास कार्यालय में मुझे देकर गया था। दिनांक 22.03.2023 को दीपेश मेरे पास कार्यालय में आया व मुझसे मिला या नही मुझे ध्यान नही हैं। दीपेश ने मुझे फोन पर मुझे कहा था कि मेरा काम जल्दी करवा देना मै आपको कुछ कर दुंगा तो मैने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नही है आपका काम नियमानुसार समय पर हो जायेगा। मैने दीपेश से उसके कार्य के लिए किसी प्रकार की कोई रिश्वत की मांग नही की थी। पीएफ व ईडीएलआई का भुगतान की प्रकिया कार्यालय स्तर से पूर्ण कर मैने दीपेश को दिनांक 24.03.2023 को मोबाईल फोन से बताया कि उपरोक्त दोनो भुगतान के सम्बंध में आपके पास मैसेज आ गया होगा शाम तक आपके खाते में राशि जमा हो जायेगी। दीपेश के पिताजी समुन्द्र सिंह के पेंशन फण्ड की राशि दिलवाने के सम्बधं में खाली फार्म मैने आज इनको दिया हैं। जिसके कार्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त इसके भुगतान की प्रकिया विभाग स्तर पर की जानी हैं। हमारे कार्यालय में पीएफ, ईडीएलआई व पेंशन फण्ड का कार्य नेहा मैडम करती है। दीपेश का उक्त कार्य नेहा मैडम से करवाने के लिए मैने ये छः हजार रूपये दीपेश से लिये है। दीपेश से लिये रूपयों के बारे में

नेहा मैडम को कोई जानकारी नही हैं। परिवादी दीपेश कुमार के पिता के नाम से पीएफ, ईडीएलआई व पेंशन फण्ड से सम्बंधित दस्तावेज अलग से जप्त किये गये। परिवादी दीपेश कुमार ने बताया कि आज मै विकास मीणा से इनके कार्यालय कक्ष में मिला तो इन्होने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फार्म संख्या 19/10सी (पेंशन प्रत्याहरण लाभ) खाली मुझे दिया तथा साथ में मेरे द्वारा पूर्व में जमा करवाये गये दस्तावेज कुल 13 प्र–पत्र जिनमें मेरे पिताजी के मृत्यु प्रमाण–पत्र की दो प्रतियां, उनकी कम्पनी के उपस्थिति रजिस्टर, मेरा आधार कार्ड आदि कागजात भी मुझे दिये व कहा कि इनके अनुसार फार्म 10 सी को कम्पनी से पूर्ति करवाकर वापिस मुझे लाकर दे देना। परिवादी द्वारा प्रस्तुत खाली फार्म व दस्तावेजो की फोटो प्रतियां प्राप्त की गई। फार्म 10 सी की फोटो प्रति की पुस्त पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर फोटो प्रतियां जप्त की गई। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना सील जरिये फर्द अलग से लिया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका अलग से जरिये फर्द तैयार किया गया। परिवादी दीपेश कुमार व आरोपी विकास मीणा के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता जो परिवादी ने टेप में रिकॉर्ड की है, उस वार्ता को जरिये लैपटॉप सुन–सुन कर फर्द ट्रास्क्रिप्ट अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री विकास मीणा को बाद आगाहा तमाम वाक्यात हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर–19 को गवाहान के समक्ष नष्ट किया गया। उक्त ट्रेप में समय–समय पर की गई कार्यवाही का पृथक से एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी दीपेश कुमार के पिता समुन्द्र सिंह जो रिद्धी–सिद्धी ग्लास इण्डिया प्रा0 लि0 जयपुर में कारपेन्टर कार्यरत थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 28.01.2023 को हो जाने पर उक्त कम्पनी से मृतक के पीएफ, ईडीएलआई व पेंशन फण्ड की राशि का भुगतान शीघ्र कराने की एवज में कार्यालय क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जयपुर में कार्यरत आरोपी विकास मीण सामाजिक सुरक्षा सहायक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ अपने वैद्य प्रारिश्रमिक से भिन्न 8,000 रूपये रिश्वत की मांग करना व परिवादी के कहने से 6,000रूपये रिश्वत के लेने के लिए सहमत होकर दिनांक 27.03.2023 को परिवादी से ज्योति नगर जयपुर स्थिति अपने कार्यालय के बाहर पास में बनी चाय की थडी पर 6,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त किये जिस पर आरोपी विकास मीणा को रगे हाथ पकडा गया। रिश्वती राशि 6,000रूपये आरोपी के पहनी जींस पेंट के पीछे की दाहीनी जेब में रखे पर्स से बरामद कर जप्त की गई। आरोपी श्री विकास मीणा हाल सामाजिक सुरक्षा सहायक, कार्यालय आयुक्त, क्षैत्रीय भविष्य निधि संगठन जयपुर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है।

अतः श्री विकास मीणा पुत्र स्व0 बनवारी लाल जाति मीणा निवासी अनोपपुरा पुलिस थाना कालाडेरा तह0 आमेर जिला जयपुर हाल सामाजिक सुरक्षा सहायक, कार्यालय आयुक्त, क्षैत्रीय भविष्य निधि संगठन जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित की जा रही है।

(शब्बीर खान)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्र. नि. ब्यूरो चूरू।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विकास मीणा, समाजिक सुरक्षा सहायक, कार्यालय आयुक्त, क्षेत्रीय निधि संगठन, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 72/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 576-79 दिनांक 27.3.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. आयुक्त-प्रथम, क्षेत्रीय भविष्य निधि,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

27.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।